प्रेस नोट

थाना बडौत **दिनाँक 16.05.2023**

थाना बडौत पुलिस ने थाने के मु0अ0सं0 362/23 धारा 376/328/506 भादवि व धारा 11/12 व 16/17 एवं 3/4 पोस्को एक्ट व 67 आई टी एक्ट से सम्बन्धित तीन अभियुक्तों को किया गिरफ्तार।

कार्यवाही-

बागपत पुलिस द्वारा जनपद में अपराधों की रोकथाम एवं वांछित अपराधों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के तहत थाना बडौत पुलिस द्वारा थाने के मु0अ0सं0 362/23 धारा 376/328/506 भादवि व 11/12 व 16/17 एवं 3/4 पोस्को एक्ट व 67 आई टी एक्ट से सम्बन्धित तीन अभियुक्त किया गया एवं अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्तों का नाम व पता-

1-जुनैद पुत्र जाहिद निवासी ग्राम बावली पट्टी खोव्वा थाना बडौत जिला बागपत।

2-निखिल पुत्र डब्बू निवासी ग्राम बावली पट्टी खोव्वा थाना बडौत जिला बागपत।

3-हनीफ पुत्र हकीमूदीन निवासी ग्राम बावली पट्टी खोव्वा थाना बडौत जिला बागपत।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

1-प्र0नि0 जनक सिंह चौहान थाना बडौत।

2-व0उ0नि0 महेन्द्र सिह चौहान थाना बडौत।

3-महिला उ0नि0 इन्द्रा नेगी थाना बडौत।

4-का0 1058 शरद यादव थाना बडौत।

5-का0 442 प्रमोद कुमार थाना बडौत।

प्रेस नोट

थाना बडौत **दिनाँक 16.05.2023**

थाना बडौत पुलिस द्वारा थाने के मु0अ0सं0 291/23 धारा 406/504/506/452 भादवि में वांछित 01 अभियुक्त को किया गिरफ्तार।

संक्षिप्त विवरण-

दिनांक 17.04.2023 को थाना बड़ौत पर वादी श्री ओमपाल पुत्र महासिंह निवासी ग्राम लुहारी थाना बडौत ने सूचना दी कि अभियुक्तों 1-बिन्नु, 2-निट्टू, 3-रिंनु पुत्रगण जयसिंह 4-जयसिंह निवासीगण ग्राम लुहारी थाना बडौत ने उससे 497000 हजार रूपये में पांच भैंस व दो भैंसे खरीदे तथा रूपये नहीं दिये । रूपये मांगने पर घर में घुसकर गाली-गलौच करते हुए जान से मारने की धमकी दी। इस सम्बन्ध में प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना बडौत पर मु0अ0सं0 291/23 धारा 406/504/506/452 भादवि पंजीकृत किया गया।

कार्यवाही-

बागपत पुलिस द्वारा जनपद में अपराधों की रोकथाम एवं वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत थाना बडौत पुलिस द्वारा थाने के मु0अ0सं0 291/23 धारा 406/504/506/452 भादवि में वांछित 01 अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया है एवं अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम पता-

रिनू पुत्र जयसिंह निवासी ग्राम लुहारी थाना बडौत जनपद बागपत।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

1-उ0नि0 शीलेन्द्र सिह थाना बडौत।

2-है0का0 438 कवित कुमार थाना बडौत।

प्रेस नोट

थाना चांदीनगर   दिनाँक 16.05.2023

थाना चांदीनगर पुलिस ने थाने के मु0अ0सं0 47/23 धारा 380 भादवि व मु0अ0सं0 51/23 धारा 380 भादवि का सफल अनावरण करते हुए 05 अभियुक्तों को किया गिरफ्तार, जिनके कब्जे से चोरी किया हुआ सामान व चोरी का सामान बेचकर मिले रुपये में से 2000 रुपये एवं घटना में प्रयुक्त 02 मो0सा0 बरामद।

संक्षिप्त विवरण-

1-दिनांक 01.05.2023 को थाना चांदीनगर पर वादी श्री नरेश कुमार (प्रधानाध्यापक उच्च प्राथमिक विघालय लहचौड़ा) निवासी लहचौड़ा थाना चांदीनगर ने सूचना दी कि दिनांक 29.04.2023 को अज्ञात चोरों द्वारा उच्च प्राथमिक विघालय लहचौड़ा से दो एलपीजी सिलेण्डर, एक खाना बनाने वाली बड़ी भट्टी, वाईफाई को संचालित करने वाली (डिटेक्टर) मशीन, 03 छत के पंखे चोरी कर लिए हैं। इस सम्बन्ध में प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना चांदीनगर पर मु0अ0सं0 47/23 धारा 380 भादवि पंजीकृत किया गया।

2-दिनांक 15.05.2023 को थाना चांदीनगर पर वादी श्री देविन्द्र पुत्र भूल्ले सिंह निवासी ग्राम ढिकौली थाना चांदीनगर ने सूचना दी कि अज्ञात चोरों द्वारा उसके व पडौसी मांगेराम की ट्यूबवैल से केबिल व स्टार्टर चोरी कर लिए हैं। इस सम्बन्ध में प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना चांदीनगर पर मु0अ0सं0 51/23 धारा 380 भादवि पंजीकृत किया गया।

कार्यवाही-

बागपत पुलिस द्वारा जनपद में अपराधों की रोकथाम एवं चोरों/वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत थाना चांदीनगर पुलिस द्वारा थाने के मु0अ0सं0 47/23 धारा 380 भादवि व मु0अ0सं0 51/23 धारा 380 भादवि का सफल अनावरण करते हुए 05 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है, जिनके कब्जे से केबिल तार(तांबे का), एक एलपीजी सिलेण्डर, कैबिल से निकले काँपर तार के टुकडे बरामद हुए हैं तथा घटना में प्रयुक्त 2 प्लास, 2 पैंचकस व 2 आरी के पत्ते व मो0सा0 हीरो स्प्लेन्डर प्लस नं0 UP-17W-5386 एवं मो0सा0 डिस्कवर बजाज रजि नं0 UP-17L-1624 व चोरी का सामान बेचकर मिले रुपये में से 2000 रुपये बरामद हुये हैं।

उपरोक्त गिरफ्तारी व बरामदगी के सम्बन्ध में थाना चांदीनगर पर अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्तों का नाम व पता-

1-वसीम पुत्र मुस्तफा निवासी खोपीपुर कालौनी निवाडी थाना कोतवाली बागपत जनपद बागपत।

2-गौरव कुमार पुत्र संजय कुमार निवासी खोपीपुर कालौनी निवाडी थाना कोतवाली बागपत जनपद बागपत।

3-नौसाद पुत्र सलीम निवासी अहेडा थाना कोतवाली बागपत जनपद बागपत।

4-रिहान पुत्र मुस्तफा निवासी खोपीपुर कालौनी निवाडी थाना कोतवाली बागपत जनपद बागपत।

5-शोएब पुत्र शहीद निवासी पुराना कस्बा व थाना बागपत जनपद बागपत।

गिरफ्तार अभियुक्त वसीम का आपराधिक इतिहास-

1.मु0अ0सं0 47/23 धारा 380/411 भादवि थाना चांदीनगर जनपद बागपत।

2.मु0अ0सं0 51/23 धारा 380/411 भादवि थाना चांदीनगर जनपद बागपत।

3.मु0अ0सं0 11/23 धारा 136 विधुत अधि0 थाना सिंघावली अहीर जनपद बागपत।

4.मु0अ0सं0 423/2023 धारा 379 थाना कोतवाली बागपत जनपद बागपत।

गिरफ्तार अभियुक्त गौरव का आपराधिक इतिहास-

1.मु0अ0सं0 47/23 धारा 380/411 भादवि थाना चांदीनगर जनपद बागपत।
2.मु0अ0सं0 51/23 धारा 380/411 भादवि थाना चांदीनगर जनपद बागपत।
3.मु0अ0सं0 11/23 धारा 136 विधुत अधि0 थाना सिंघावली अहीर जनपद बागपत।
4.मु0अ0सं0 423/2023 धारा 379 थाना कोतवाली बागपत जनपद बागपत।

गिरफ्तार अभियुक्त नौशाद का आपराधिक इतिहास-

1.मु0अ0सं0 47/23 धारा 380/411 भादवि थाना चांदीनगर जनपद बागपत।
2.मु0अ0सं0 51/23 धारा 380/411 भादवि थाना चांदीनगर जनपद बागपत।
3.मु0अ0सं0 11/23 धारा 136 विधुत अधिनियम थाना सिंघावली अहीर जनपद बागपत।
4.मु0अ0सं0 423/2023 धारा 379 थाना कोतवाली बागपत जनपद बागपत।

गिरफ्तार अभियुक्त रिहान का आपराधिक इतिहास-

1.मु0अ0सं0 47/23 धारा 380/411 भादवि थाना चांदीनगर जनपद बागपत।
2.मु0अ0सं0 51/23 धारा 380/411 भादवि थाना चांदीनगर जनपद बागपत।
3.मु0अ0सं0 11/23 धारा 136 विधुत अधि0 थाना सिंघावली अहीर जनपद बागपत।
4.मु0अ0सं0 423/2023 धारा 379 थाना कोतवाली बागपत जनपद बागपत।

गिरफ्तार अभियुक्त शोएब का आपराधिक इतिहास-

1.मु0अ0स0 47/23 धारा 380/411 भादवि थाना चांदीनगर जनपद बागपत।
2.मु0अ0स0 423/2023 धारा 379 थाना कोतवाली बागपत जनपद बागपत।

बरामदगी का विवरण-

- केबिल तार । (सम्बन्धित मु0अ0सं0 51/23 धारा 380 भादवि थाना चांदीनगर जनपद बागपत)

- एक एलपीजी सिलेन्डर । (सम्बन्धित मु0अ0सं0 47/23 धारा 380 भादवि थाना चांदीनगर जनपद बागपत)
- केबिल से निकले कॉपर तार के टुकडे । (सम्बन्धित मु0अ0सं0 423/2023 धारा 379 थाना कोतवाली बागपत जनपद बागपत)
- घटना में प्रयुक्त 2 प्लास व 2 पैंचकस व 2 आरी के पत्ते ।
- घटना में प्रयुक्त 02 मो0सा0 हीरो स्प्लेन्डर प्लस नं0 UP-17W-5386 व बजाज डिस्कवर नं0 UP-17L-1624
- चोरी का सामान बेचकर मिले रुपये में से 2000 रुपये। (सम्बन्धित मु0अ0सं0 11/2023 धारा 136 विधुत अधिनियम थाना सिंघावली अहीर जनपद बागपत)

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

1-उ0नि0 श्री राहुल प्रताप सिंह थाना चांदीनगर ।
2-उ0नि0 श्री अरविन्द कुमार थाना चांदीनगर ।
3-का0 1051 अपार श्रीवास्तव थाना चांदीनगर ।
4-का0 1023 गणेश कुमार थाना चांदीनगर ।
5-का0 1065 आलोक कुमार थाना चांदीनगर ।
6-का0 1036 धर्मेन्द्र सिंह थाना चांदीनगर ।
7-का0 1103 संजय सिंह थाना चांदीनगर ।
8-का0 1014 कुलदीप कुमार थाना चांदीनगर ।

प्रेस नोट

थाना खेकडा दिनांक-16.05.2023

थाना खेकडा पुलिस ने चैकिंग के दौरान एक शातिर चोर को किया गिरफ्तार, जिसके कब्जे से चोरी की एक मो0सा0 हीरो होण्डा सीडी डीलक्स नं0 HR-10M-4550 बरामद।

कार्यवाही-

बागपत पुलिस द्वारा जनपद में अपराधों की रोकथाम एवं चोरों/वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत थाना खेकडा पुलिस द्वारा चैकिंग के दौरान एक अभियुक्त को गिरफ्तार किया है, जिसके कब्जे से चोरी की हुई एक मो0सा0 हीरो होण्डा सीडी डीलक्स नं0 HR-10M-4550 बरामद हुई है।

उपरोक्त गिरफ्तारी व बरामदगी के सम्बन्ध में थाना खेकडा पर अभियोग पंजीकृत कर आवश्यक विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पताः-

सुनील पुत्र विजयपाल निवासी कस्बा खेकड़ा थाना खेकड़ा जनपद बागपत।

बरामदगी का विवरण-

- चोरी की ही एक मो0सा0 हीरो होण्डा सीडी डीलक्स नं0 HR-10M-4550

अभियुक्त सुनील का आपराधिक इतिहास-

1- मु0अ0सं0 459/17 धारा 379/411 भादवि थाना खेकडा जनपद बागपत।

2- मु0अ0सं0 463/17 धारा 4/25 आर्म्स एक्ट थाना खेकडा जनपद बागपत।

3- मु0अ0सं0 352/20 धारा 63 आबकारी अधिनियम थाना खेकडा जनपद बागपत।

4- मु0अ0सं0 10/21 धारा 379/411 भादवि थाना खेकडा जनपद बागपत।

5- मु0अ0सं0 57/21 धारा 379/411 भादवि थाना खेकडा जनपद बागपत।

6- मु0अ0सं0 289/21 धारा 4/25 आर्म्स एक्ट थाना खेकडा जनपद बागपत।

7- मु0अ0सं0 107/22 धारा 379/411 भादवि थाना खेकडा जनपद बागपत।

8- मु0अ0सं0 185/23 धारा 411/414 थाना खेकडा जनपद बागपत।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

1-उ0नि0 श्री मौ0 आसिफ थाना खेकडा।

2-है0का0 53 रविन्द्र थाना खेकडा।

3-है0का0 292 सिराज थाना खेकडा।

4-है0का0 226 धर्मेन्द्र कुमार थाना खेकडा।

प्रेस नोट

थाना खेकडा **दिनाँक 16.05.2023**

थाना खेकडा पुलिस ने चैकिंग के दौरान अवैध शराब तस्कर को किया गिरफ्तार, जिसके कब्जे से 02 पेटी अवैध अंग्रेजी शराब हरियाणा मार्का तथा 10 बोतल अवैध बीयर हरियाणा मार्का एवं तस्करी में प्रयुक्त एक गाडी थार DL-8CB-4141 बरामद ।

कार्यवाही-

बागपत पुलिस द्वारा जनपद में अपराधों की रोकथाम एवं शराब तस्करों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत थाना खेकडा पुलिस के चैकिंग के दौरान 01 अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया है । गिरफ्तार अभियुक्त के कब्जे से 02 पेटी अवैध अंग्रेजी शराब हरियाणा मार्का तथा 10 बोतल अवैध बीयर हरियाणा मार्का एवं तस्करी में प्रयुक्त एक गाडी थार DL-8CB-4141 बरामद हुई है ।

उपरोक्त गिरफ्तारी व बरामदगी के सम्बन्ध में थाना खेकडा पर अभियोग पंजीकृत कर आवश्यक विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता-

रितिक पुत्र रविन्द्र सिंह निवासी हनुमान मन्दिर महालक्ष्मी एन्क्लेव थाना करावलनगर दिल्ली ।

हाल पता मैन चौक करावलनगर थाना करावलनगर दिल्ली ।

बरामदगी का विवरण-

- 02 पेटी अवैध अंग्रेजी शराब हरियाणा मार्का।
- 10 बोतल बीयर अवैध हरियाणा मार्का
- तस्करी में प्रयुक्त एक गाडी थार DL-8CB-4141 सीज अन्तर्गत धारा 207 मोटर व्हीकल एक्ट।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

1-उ0नि0 श्री नन्हे सिंह।
2-का0 1021 जितेन्द्र कुमार।
3-है0का0 398 अनुज कुमार।
4-है0का0 516 सतेन्द्र गिरि।

प्रेस नोट

थाना कोतवाली बागपत दिनांक 16.05.2023

हत्या की घटना कारित करने वाले आरोपी दिनेश को पुलिस और अभियोजन विभाग द्वारा प्रभावी पैरवी किए जाने पर हुआ आजीवन कारावास व 01 लाख 50 हजार रूपये अर्थदण्ड की सजा।

कार्यवाही –

अवगत कराना है कि अभियुक्त दिनेश पुत्र हुकुम सिंह निवासी ग्राम अहेड़ा थाना कोतवाली बागपत जनपद बागपत द्वारा वर्ष-2013 में हत्या की घटना कारित की गयी थी । जिसके सम्बन्ध में थाना कोतवाली बागपत पर मु0अ0सं0- 08/2013 धारा 302/201 भादवि पंजीकृत हुआ था । इस अभियोग में मॉनिटरिंग सैल द्वारा मा0 न्यायालय में सशक्त, प्रभावी पैरवी की गयी एवं अभियोजन की कार्यवाही सम्पन्न करायी गई। जिसके परिणामस्वरूप दिनांक 16.05.2023 को मा0 न्यायालय अपर जिला जज एफटीसी-2 जनपद बागपत द्वारा अभियुक्त दिनेश को दोषी पाते हुए धारा 302/34 भादवि में आजीवन कारावास व 01 लाख रूपये के अर्थदण्ड व धारा 201 भादवि में 07 वर्ष का कारावास व 50 हजार रूपये अर्थदण्ड से दण्डित किया गया है।

दोषसिद्ध अपराधी का नाम व पता-

दिनेश पुत्र हुकुम सिंह निवासी ग्राम अहेड़ा थाना कोतवाली बागपत जनपद बागपत।

अभियुक्त दिनेश का आपराधिक इतिहास-

1-मु0अ0सं0 08/13 धारा 302/201 भादवि थाना कोतवाली बागपत जनपद बागपत।

2-मु0अ0सं0 782/17 धारा 393 भादवि थाना कोतवाली बागपत जनपद बागपत।

3. मु0अ0सं0 785/17 धारा 414 भादवि थाना कोतवाली बागपत जनपद बागपत।